

लघु कृषक कृषि व्यापार संघ,
पांचवा तल, एन.सी.यू.आई. ऑडिटोरियम बिल्डिंग,
अगस्त क्रांति मार्ग, हौज़ खास, नई दिल्ली- 110016

दिनांक - 12.08.2025

सेवा में,

श्री अमिताभ पांडे,
जी-86/29, तुलसी नगर,
भोपाल- 462003

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना के संबंध में ।

महोदय,

आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र क्रमांक संख्या SFABC/R/E/25/00031 दिनांक 03.07.2025 के संदर्भ में आपके द्वारा मांगी गई जानकारी हेतु निम्न टिप्पणियाँ प्रस्तुत की जा रही हैं:-

क्र.सं.	प्रश्न	टिप्पणी
1.	क्या श्री शाजी जॉन को आपके द्वारा ऊपर उल्लेखित पत्र (आरटीआई का जवाब) भेजा गया?	वांछित सूचना तृतीय पक्ष से संबंधित है, जिसके संदर्भ में उन्हें एक पत्र प्रेषित किया गया था, परंतु उन्होंने सूचना प्रदान करने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है।
2.	क्या उक्त पत्र में आपने यह माना कि आपने कि मध्य प्रदेश में 67 एफपीओ ऐसे हैं जिन्होंने इक्विटी ग्रांट प्राप्त करने के उपरांत नियमित शर्तों को पूर्ण नहीं किया?	
3.	उक्त पत्र में यह उल्लेखित था कि चूक कर्ता एफपीओ को इक्विटी ग्रांट की राशि लौटाने के लिए recall notice जारी किया गया। कृपया जानकारी देवे की कितने एफपीओ को किस दिनांक को recall नोटिस भेजा गया?	
4.	कृपया जानकारी देवे की एफपीओ को भेजे गए recall नोटिस की प्राप्ति रसीद कितने एफपीओ से आपको प्राप्त हुआ है?	
5.	इस recall नोटिस में इक्विटी ग्रांट वापस जमा करने के लिए एफपीओ को कितना समय दिया गया था, एवं यह समय अवधि किस दिनांक को समाप्त हो रही है?	
6.	एफपीओ के द्वारा इक्विटी ग्रांट की राशि वापस जमा ना करने की स्थिति में एसएफएसी द्वारा आगे की कार्यवाही के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम/पद बताएं?	
7.	जिन एफपीओ के विरुद्ध recall नोटिस भेजा गया, क्या उनके CBBO को एफपीओ को भेजे गए recall नोटिस की जानकारी या प्रति उपलब्ध भेज गई?	
8.	क्या उक्त एफपीओ से इक्विटी ग्रांट की वसूली के लिए सीबीबीओ से सहयोग हेतु कोई पत्र भेजा गया?	

यदि आप उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो इस संबंध में निम्न को संबोधित कर सकते हैं :-

उप निदेशक (पीडीएफ)

प्रथम अपीलीय अधिकारी,

लघु कृषक कृषि व्यापार संघ,
हौज़ खास, नई दिल्ली- 110016

भवदीय,

(संदीप कुमार)

उप-निदेशक (परियोजना)